प्रशिक्षण कार्यक्रम रिपोर्ट

3 days "Intellectual Property Rights"

दिनांक **26-06-2023 से 28-06-2023**

राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर।

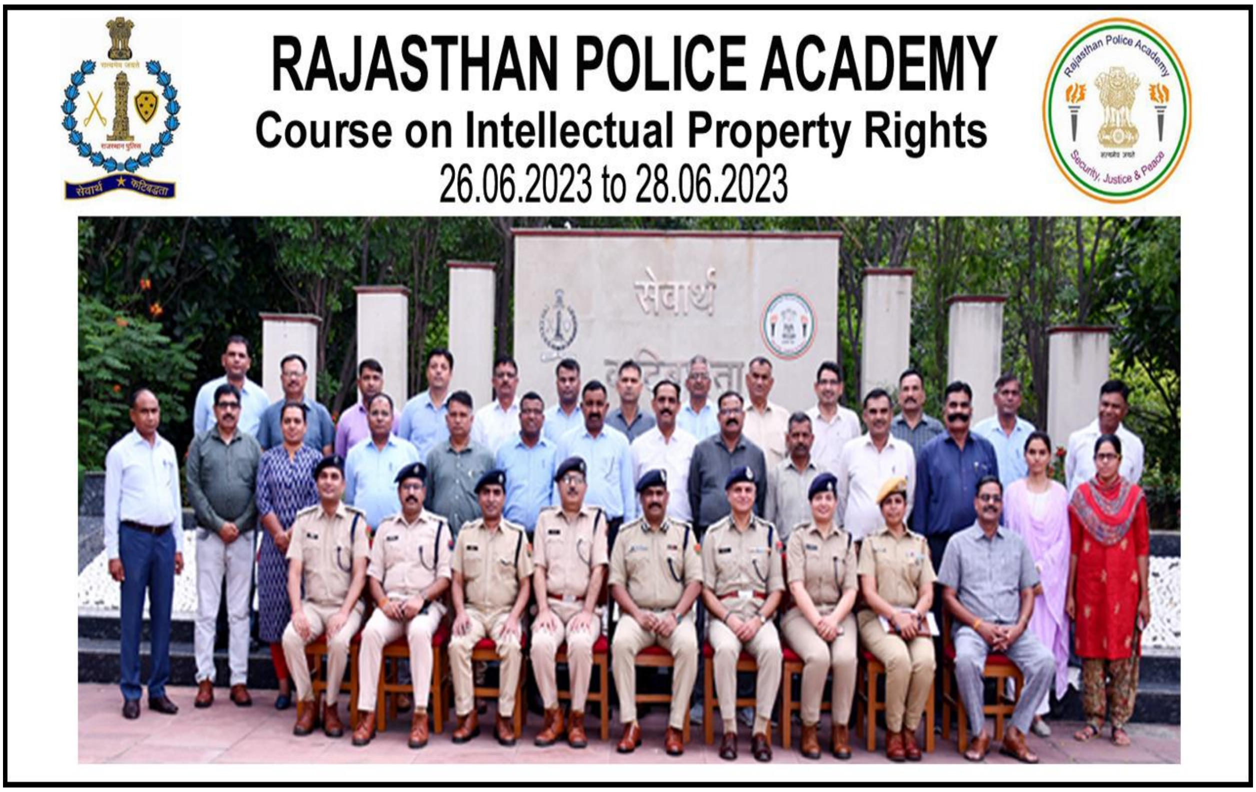

राजस्थान पुलिस अकादमी में दिनांक **26-06-2023 से 28-06-2023** तक **"Intellectual Property Rights"** विषय पर तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम न्यू आरपीएस क्लास रूम में आयोजित किया गया। उक्त कोर्स हेतु इन्टेलीजेन्स पुलिस अकादमी के निदेशक श्री दीपक भार्गव, आईपीएस, उप महानिरीक्षक पुलिस ने कोर्स का औपचारिक उद्घाटन कर प्रतिभागियों को सम्बोधित किया। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में राजस्थान के विभिन्न जिलों से **28** प्रतिभागियों जिसमें **01** पुलिस निरीक्षक, **27** उप निरीक्षक ने भाग लिया।

प्रशिक्षण कार्यक्रम के प्रथम दिन 10:00 AM to 11:00 AM तक पंजीकरण एवं कोर्स निदेशक द्वारा कोर्स का परिचय करवाया गया। प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय सत्र में श्री महावीर जागिड., अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (सेवानिवृत्त) ने बौद्धिक संपदा अधिकारों का परिचय, दायरा और अवलोकन, पेटेंट अधिनियम, 1970 कॉपीराइट अधिनियम, 1957, ट्रेडमार्क अधिनियम 1999, डिजाइन अधिनियम 2000, डिजाइन अधिनियम आविष्कार माता-पिता के लाभ, और व्यापार रहस्य के एवं जांच, खोज, ट्रेडमार्क की जब्ती, उनके प्रमाणीकरण और पंजीकरण प्रक्रियाओं की पुलिस की शक्ति एवं आईपीआर मामलों में एफआईआर का मसौदा तैयार करना, जांच करना और साक्ष्य एकत्र करना के बारे में बताया।

द्वितीय दिन के प्रथम सत्र में (डॉ.) रोहित जैन, पेटेंट और ट्रेडमार्क अटार्नी, उद्योग विकास और जागरूकता के लिए कंसोर्टियम (**CIDA)** ने पुलिस के लिए आईपीआर प्रवर्तन टूलकिट: आईपी अपराधों से निपटने में एक प्रभावी उपकरण आपराधिक उपचार- आईपीआर प्रवर्तन में पुलिस की भूमिका के बारे में बताया। द्वितीय सत्र में श्री रजनीकांत शर्मा, एंटी पाइरेसी अधिकारी ने कॉपीराइट अधिनियम, 1957 की जब्ती और एफआईआर पंजीकरण। कॉपीराइट अधिनियम, 1957 के कॉपीराइट और उल्लंघन के लिए क्या करें और क्या न करें के बारे में समझाया। तृतीय सत्र में श्री लियाकत खान, सरकारी वकील, (जयपुर मेट्रो-**I)** ने ट्रायल कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के फैसले, केनेल ट्रेडिंग कॉरपोरेशन के प्रोपराइटर विनोद कुमार बनाम दिल्ली एनसीटी राज्य और अन्य का केस स्टडी, ट्रेडमार्क अधिनियम का अवलोकन 1999 के बारे में समझाया।

तृतीय दिन के प्रथम सत्र में डॉ. आर.एस. शर्मा,अतिरिक्त. निदेशक एफएसएल जयपुर (सेवानिवृत्त) ने फोरेंसिक विज्ञान और दस्तावेजों, व्यापार चिह्न, प्रतीकों, पौधों की प्रजातियों आदि के संदर्भ में आईपीआर की जांच, उनकी पहचान और तुलना के बारे में बताया। द्वितीय सत्र में श्री जी.डी.बंसल,अधिवक्ता राजस्थान उच्च न्यायालय पूर्व. बार काउंसिल के वीसी राजस्थान ने पंजीकरण के लिए भौगोलिक पहचान मानदंड। आईपीआरएस के उल्लंघन और सुरक्षा के लिए बुनियादी सावधानियों के बारे में जानकारी का प्रसार। भारतीय जीएल के पंजीकरण की प्रक्रिया उल्लंघन के लिए आपराधिक दायित्व, जांच और सजा के बारे में बताया।

कोर्स का समापन में श्री बी. आर. ग्वाला पुलिस महानिरीक्षक (सेवानिवृत्त) ने कोर्स से सम्बन्धित चर्चा की एवं चर्चा के पश्चात प्रशिक्षणार्थियों को प्रमाण पत्र वितरित किये गये। समापन सत्र के अन्त में कोर्स निदेशक द्वारा धन्यवाद ज्ञापित किया गया। तत्पश्चात कोर्स विधिवत सम्पन्न हुआ।

हस्ताक्षर
कोर्स निदेशक